

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)
श्रृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झोड़)

Case No. MCA/6/2017

Filing No. MCA/161/2016

CNR-MP500/10053362016

संस्थित दिनांक-26-07-2016

- 1- ब्रम्हा खैरवार आयु 22 वर्ष वल्द खोरबहरा
 - 2- कु0 मोंगराबाई आयु 19 वर्ष वल्द खोरबहरा
 - 3- सरवन आयु 38 वर्ष वल्द खोरबहरा
 - 4- श्रीमती गीताबाई आयु 42 वर्ष बेवा खोरबहरा
- सभी निवासी-ग्राम बहेराभाटा तहसील बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - -

अपीलार्थीगण ।

- / / विरुद्ध / / -

- 1- श्रीमती जमुनाबाई बाहेश्वर जौजे धूरनसिंह बाहेश्वर
निवासी-ग्राम अचानकपुर तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 2- म0प्र0 शासन तर्फे :-कलेक्टर महोदय बालाघाट
तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - -

उत्तरवादी ।

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, बैहर तत्कालीन
पीठासीन अधिकारी श्री श्रीष कैलाश शुक्ल द्वारा एम.जे.सी.
क. 01/2016 ब्रम्हा खैरवार वगैरह बनाम श्रीमती जमुनाबाई
वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 से क्षुब्ध होकर
यह अपील पेश की है}

श्री जे0पी0 मातरे अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।
श्री आर0पी0 सिंह अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक 1
उत्तरवादी क्रमांक 2 म0प्र0 राज्य अनुपस्थित।

- / / / आदेश / / / -

(आज दिनांक 07 दिसम्बर 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण यह विविध अपील न्यायालय-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री श्रीष कैलाश शुक्ल, द्वारा एम0जे0सी0 क्रमांक 01/2016 ब्रम्हा खैरवार वगैरह बनाम श्रीमती जमुनाबाई वगैरह में आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 व्य.प्र.सं. पर दिनांक 28.06.2016 को आदेश पारित कर, आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।

2. स्वीकृत तथ्य यह है कि आवेदक क्रमांक 1 से 4 के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक 1 ने व्य.वा.क्र. 55अ/2010 जमुनाबाई बनाम ब्रम्हा व अन्य पेश किया था जिसमें आवेदकगण के विरुद्ध दिनांक 22.10.2010 को एकतरफा कार्यवाही कर दिनांक 28.10.10 को एकपक्षीय निर्णय एवं आज्ञाप्ति पारित की गई थी। दिनांक 24.09.2010 को घोषणा हेतु, भूमि पर हक व अंश की घोषणा हेतु वाद पेश किया था, दिनांक 27.09.2010 को तलवाना अदा कर नोटिस जारी करने के आदेश हुए थे। अना.क्र. 1 ने अपने वाद में कब्जे की याचना नहीं की थी।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 व्य.प्र.सं. का सार यह है कि आवेदक क्रमांक 1 से 4 के विरुद्ध अना.क्र. 1 जमुनाबाई के द्वारा व्य.वा.क्र. 55अ/2010 पेश किया था जिसमें दिनांक 22.10.10 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दिनांक 28.10.10 को एकपक्षीय निर्णय एवं आज्ञाप्ति पारित की गई। दिनांक 20.12.10 को गांव के लोगों के पास चर्चा हुई कि आवेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत वाद में घोषणा की आज्ञाप्ति प्राप्त की है तब अना.क्र. 1 ने बैहर न्यायालय आकर जानकारी ली तब ज्ञात हुआ कि झूठे हस्ताक्षर अना.क्र. 1 से मिलकर संमस पर करा लिए और एकपक्षीय आज्ञाप्ति प्राप्त कर ली। अधिवक्ता से मिलकर अना.क्र. 1 ने दिनांक 24.12.10 को नकल प्राप्त की और दिनांक 31.01.11 को जिला न्यायालय बालाघाट के समक्ष अपील पेश की जिसमें आदेश 23 नियम 1 सी. पी.सी. का आवेदन पेश किया गया जिसमें दिनांक 13.12.11 को आदेश पारित किया गया, कि नकल मिलने पर यह आवेदन पेश किया है।

4. दिनांक 28.10.2010 को आवेदक क्रमांक 2 कुमारी मोगराबाई अवयस्क थी, आवेदिका क्रमांक 1 अंगूठा लगाती है के हस्ताक्षर बनाए गए थे, तामीली विधिवत नहीं थी, केवल घोषणा का दावा पेश कर कब्जे मांगनी नहीं की गई थी, केवल घोषणा का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता, वंशवृक्ष अना. क्र. 1 के द्वारा नहीं बताया गया था, कमलाबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया था, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की याचना की है।

5. अना.क्र. 1 के द्वारा उक्त आवेदन का उत्तर पेश कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर आवेदन में लेख आक्षेपयुक्त अभिकथनों को पदवार इंकार किया है तथा लेख किया है कि विवादित भूमि पर अना.क्र. 1 का कब्जा पूर्व से होने से कब्जे की मांग नहीं की थी। विशिष्ट कथन करते हुए लेख किया है कि वाद का संमस विधिवत प्रेषित किया गया था जो आवेदकगणों ने प्राप्त

किया था, मामले में रुचि न लेकर वे उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने वादोत्तर पेश नहीं किया, इसलिए न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। व्य.वा.क्र. 55ए/2010 में पारित निर्णय, आज्ञाप्ति दिनांक 28.10.10 के विरुद्ध जिला न्यायालय बालाघाट के समक्ष सिविल अपील क्रमांक 6/2011 ब्रम्हा वगैरह बनाम श्रीमती जमुनाबाई व अन्य पेश की थी। साथ में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश किया था, जिसमें आवेदकगण के झूठे हस्ताक्षर अना.क्र. 1 से मिलकर संमस पर करा लिए और एकपक्षीय निर्णय अपने पक्ष में करा लिया, आधार नहीं लिया था। आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

6. प्रस्तुत विविध अपील के आधार का सार यह है कि दिनांक 28.06.2016 को अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त कर त्रुटि की है, व्य.वा.क्र. 55अ/10 जनाबाई बनाम ब्रम्हा में दिनांक 22.10.2010 को एकपक्षीय कार्यवाही को अनदेखा कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, व्य.वा.क्र. 55अ/2010 में संमस की तामीली के संबंध में अपीलार्थीगण के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, की ओर ध्यान न देकर आदेश पारित कर त्रुटि की है, अपीलार्थीगण द्वारा उनके हस्ताक्षर, अंगुष्ठ चिन्ह को हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराए जाने के आदेश न देकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है, एकपक्षीय कार्यवाही को सही मानकर त्रुटि की है, युक्तियुक्त एवं संभाव्य कारण के अपने पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित कराया है, को अनदेखा कर त्रुटि की है, अचल संपत्ति से संबंधित अपीलार्थीगण का आवेदन निरस्त कर त्रुटि की है, प्रकरण में आए तथ्य एवं साम्य एवं न्याय की दृष्टि एवं विधि-सिद्धांतों के विपरीत आदेश पारित कर त्रुटि की है, अपील स्वीकार कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने की याचना की है।

7. अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

क.	विचारणीय प्रश्न
1.	क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा एम0जे0सी0क्र0 01/2016 ब्रम्हा खैरवार बनाम श्रीमती जमुनाबाई वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 में अशुद्धता, तथ्य की त्रुटि एवं विधि की त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-

8. उभयपक्षों द्वारा किए गए विस्तृत तर्कों को विचार में लिया गया। एम0जे0सी0 क्रमांक 01/2016 के साथ सूची दिनांक 21.02.2012 के साथ संलग्न दस्तावेज 1 लगायत 5 में मूल वाद क्रमांक 55अ/2010 में पेशी तारीख 14.10.2010 का प्रतिवादी क्रमांक 1 ब्रम्हा को तामील नोटिस पर ब्रम्हानंद हस्ताक्षर है। साक्षी के रूप में ओरीलाल और उस ग्राम का कोटवार साक्षी है। इसी प्रकार मोगराबाई को नोटिस शामिल शरीक माता गीताबाई को प्रदत्त कर तामील किया गया है। नोटिसग्रहिता गीताबाई स्वयं पर नोटिस तामील है। सरवन का नोटिस स्वयं सरवन पर तामील है जिसे आदेशिका वाहक अशोक शेण्डे के द्वारा तामील किया गया है और नायब नाजिर सिविल कोर्ट बैहर के द्वारा पुष्टि की गई है।

9. इस तामीली के दस्तावेजों के खण्डन में कोई साक्ष्य अथवा खण्डन नहीं है। इस प्रकार एम0जेस0सीक0 01/2016 में दिनांक 28.06.2016 को तत्कालीन व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर पीठासीन अधिकारी श्री श्रीष कैलाश शुक्ल द्वारा आवेदन निरस्त किए जाने में तथ्य की, विधि की त्रुटि नहीं की है। यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

10. अतः प्रस्तुत विविध व्यवहार अपील अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

11. आदेश की एक प्रति मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजा जावे।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर.

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर.